न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 04/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

रामकुमार पुत्र श्री रजिराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 08 राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री गुरदेव सिंह अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:**निर्णयः**— दिनांकः—19.05.2022

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2020 के वक्त 09.26 पी.एम. पर श्री रणवीर सिंह मीणा आरपीएस वृताधिकारी वृत रावतसर ने एक फर्द इस आश्य की पेश कि आज दिनांक 03.05.2020 के वक्त 12.10 पीएम. पर श्री अरूण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, रावतसर ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि श्री औमप्रकाश ए.एस.आई. ने मय हमराही मुलाजमान के गश्त के दौरान सड़क आम रोही खोडा में दो पिकअप गाडीयों को रूकवाया जिनमें अवैध डीजल भरा हुआ है। दो गाडीयों में डीजल की मात्रा 2500 लीटर से अधिक है। दोनों गाडीयां जिनमें 2500 लीटर से अधिक डीजल है वे दोनों मय चालक के परिसर में खड़ी है लेकिन मन सीओ मय स्टाफ के मुख्यालय से बाहर दिगर राजकार्य से फारीक होकर कार्यवाही हेतु मन रणवीर सिंह मीणा आरपीएस वृताधिकारी रावतसर मय श्री प्रहलाद हैड कानि. 0146, गाड़ी सरकारी चालक मुख्तयार सिंह के रवाना थाना को हुआ। वक्त 04.00 पीएम. पर रावतसर थाना पहुंचकर सर्व प्रथम पिकअप गाडी नं. आर.जे. 13 जी.बी. 5101 में भरे डीजल की कार्यवाही में मसरूफ कार्यवाही सम्पन्न की गयी। बाद फारिक उक्त कार्यवाही से थाना परिसर में खड़ी दूसरी गाड़ी सं. आर.जे 13 जी.बी. 2221 की कार्यवाही में वक्त 06.40 पीएम. पर व्यस्त होता हूं। चुंकि गाड़ी संख्या आर जे. 13 जी.बी. 2221 के पास थाना हाजा से मुलाजमान श्री ओमप्रकाश एएसआई, अनिल कुमार कानि 810 व अमर सिंह कानि. 1028, बजरंग लाल कानि 1259 उपस्थित है। जिनकी बमोजुदगी में बालेरो पिकअप का निरीक्षण किया गया तो गाडी के आगे नं. आर जे. 13 जी.बी. 2221 लिखे है। बोलेरो पिकअप गाडी का चालक गाड़ी के पास में है जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकुमार पुत्र श्री रजिराम जाति जाट उम्र 22 साल निवासी वार्ड नं. 08 राजीयासर का होना बताया। गाड़ी के पिछे डाला में प्लास्टिक के ड्रम व प्लास्टिक की कैनीया रखी हुयी है जिनमें सात ड्रम हरे रंग के तथा चार ड्रम नीले रंग के व दो केनी हरे रंग की है। सभी ड्रमों व केनियों को ढक्कन खेलकर देखा गया तो तीन ड्रमों में 230—230 लीटर डीजल व सात ड्रमों में 220—220 लीटर डीजल एवं एक ड्रम में 210 लीटर डीजल एवं दो छोटी प्लास्टिक की केनी है उनमें से एक में 50 लीटर व दुसरी केनी मे 30 लीटर डीजल व पिकअप डाला की टंकी में देखा गया तो 40 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार सभी ड्रमों/कैनियों/पिकअप डाला की टंकी में कुल 2560 लीटर डीजल भरा हुआ है। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2500 लीटर से ज्यादा डीजल अपने कब्जा में रखना व भण्डारण करना व बेचान करना एवं परिवहन करने के सम्बन्ध में चालक रामकुमार से लाईसैंस/प्रमीशन के बारे में पूछा तो अपने पास कुछ नहीं होना बताया एवं बताया कि मैं हरियाणा राज्य से आशीष के.एस.के. पैन्ट्रोल पम्प से 64 रूपये 11 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल खरीद करके लाया हूं। हमारे गांव व आस—पास के काश्तकारों को प्रति लीटर 69 रूपये के हिसाब से बेचान करता हूं व दो तीन चक्कर चोरी छिप्पे इन दिनों में लगा चुका हूं। इस प्रकार निर्धारित मात्रा (2500 लीटर डीजल) से अधिक डीजल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्त

एवं 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर उक्त पिकअप गाड़ी को मय डीजल से भरे ड्रमों व केनियों व टंकी मय गाड़ी को बतौर वजह सबूत कब्जा में लिया जाकर एवं गाड़ी के डेस्क बोर्ड में मूल आर/सी मिली जिसके रजि. नं. आर.जे. 31 जी.बी. 2221 ई.नं. जीएचएफ. 1डी29512 व चै. नं. एम.ए. 1 जेड.ई. 2 जी.एच.के.एफ. 1 डी 41993 है। जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। गाड़ी में भरे सभी ड्रमों व केनियों एवं टंकी में से करीब एक–एक लीटर डीजल रबड़ की पाईप से एक बाल्टी में निकाल कर बाल्टी में से एक बोतल बतौर सैम्पल शिल्ड मोहर कर मार्क ''ए'' अंकित किया गया व एक बोलत में बतौर कंन्ट्रोल सैम्पल निकाल जाकर शिल्ड मोहर कर मार्क ''बी'' अंकित किया गया। शेष बचे डीजल को उन्ही ड्रमों व केनियों में डाला जाकर शिल्ड मोहर कर ड्रमों को क्रमशः ''सी'' ''डी'' ''ई'' ''एफ'' ''जी'' ''एच'' ''आई'8 ''जे'' ''के'' ''एल'' ''एम'' एवं केनियों को मार्क ''एन'' ''ओ'' अंकित किया। पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 13 जी.बी. 2221 में कोई कागजात नहीं मिले ना ही चालक ने अपने पास होना बताया। शक्स रामकुमार को वक्त 08.00 पीएम पर हस्ब कायदा जुदागाना जरिये फर्द अलग से गिरफ्तार किया गया। नमूना शील फर्द का प्रिन्ट निकाला जाकर फर्द के हांसिया पर अंकित की जावेगी। मुलजिम के गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम के बताएनुसार अलग से दी जावेगी वगैरह–2 फर्द पेश करने पर अभियोग सं. 166/2020 जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट एवं 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में दर्ज कर अन्वेषण श्री रामप्रकाश एस.आई. पुलिस थाना रावतसर द्वारा शुरू किया। प्रकरण हाजा में जप्त शुदा तेल के ड्रम जो ज्वलनशील पदार्थ है तथा थाना परिसर में पड़ा है जिससे रिसाव भी होने की सम्भावना से ईन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप गाड़ी नं. RJ-13-GB-2221 मय 2560 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व दो कैनियों को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 21.05.2020 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र परिवादी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध कतई गलत, बेबुनियाद व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बनाया गया है। अप्रार्थी से 2560 लीटर डीजल जब्त कर जब्दशुदा डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम में माना गया है जबकि अप्रार्थी व उसका परिवार संयुक्त रूप से निवास करते है तथा संयुक्त प्रकार से ही अपनी कृषि भूमि काश्त करते है, अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्अर फार्म ट्रेक, इस्कॉर्ट, महेन्द्रा के दो ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त), इन्यादि में ईंधन के रूप मे डीजल का उपयोग करते है व उसके लिए ही यह डीजल खरीद कर लाया जा रहा है, उसके द्वारा तेल का बेचान नहीं किया जाता है। वरवकत जब्ती अप्रार्थी न तो किसी व्यक्ति को उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति वरवक्त जब्ती डीजल खरीद रहा था। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे तथा जब्तशुदा 2560 लीटर डीजल अप्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के जमीन, खेत खलियान है जिनमें डीजल की परिवहन हेतु आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी व उसका परिवार संयुक्त रूप से निवास करते है तथा संयुक्त प्रकार से ही अपनी कृषि भूमि काश्त करते है, प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्अर फार्म ट्रेक, इस्कॉर्ट, महेन्द्रा के दो ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त), इन्यादि में ईंधन के रूप मे डीजल का उपयोग करते है व उसके लिए ही यह डीजल खरीद कर लाया जा रहा है, उसके द्वारा तेल का बेचान नहीं किया जाता है। वरवकत जब्ती प्रार्थी न तो किसी व्यक्ति को उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति वरवक्त जब्ती डीजल खरीद रहा था। अप्रार्थी ने उक्त डीजल अपने कृषि कार्य के

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

उपयोग में लेने हेतु खरीद किया था जिसके बिल, जमाबंदी अप्रार्थी ने न्यायलय में प्रस्तुत किये हुए है। अतः जब्दशुदा डीजल अप्रार्थी को लौटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। वर्तमान प्रकरण में पिकअप गाड़ी नं. RJ-13-GB-2221 व उसमें लदे 11 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक की कैनी जिसमें 2560 लीटर डीजल पाये गये है जबकि केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद ही कोई व्यक्ति रख सकता है। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय भूमि व वाहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये है, लेकिन उक्त दस्तावेजों मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी हैं।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 2560 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक की कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 21.05.2020 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा पिकअप गाड़ी नं. RJ-13-GB-2221 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप गाड़ी नं. RJ-13-GB-2221 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप गाड़ी नं. RJ-13-GB-2221 के इंजिन नं. व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ व थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़